कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 496 /अमरोहा/19453/2016/यूपी–116, दिनांक, लखनऊ, सितम्बर 07, 2016

सेवा में,

वन संरक्षक,
मुरादाबाद वृत्त,
मुरादाबाद।

विषय : अमरोहा में बदायूँ–बिल्सी–बिजनौर मार्ग (एस0एच0–51) किमी0 115.123 की दायीं पटरी पर ग्राम–मंसूरपुर, तहसील–हसनपुर के खाता स0–187 में बी0पी0सी0एल0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0759 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भः आपके कार्यालय का पत्रांक–364/14–1, दिनांक 02.08.16

महोदय,

विषयक प्रस्ताव उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। प्रथमदृष्टया अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि प्रस्ताव के साथ अनेकों सूचनायें तथा अभिलेख पूर्ण एवं सुसंगत नहीं हैं, जो निम्न प्रकार हैं :–

1– प्रस्तावित स्थल चिन्हित टोपोशीट पर टाइटिल शीर्षक अंकित नहीं है।
2– प्रभागीय वनाधिकारी की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पर उल्लंघन की स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है।
3– संरक्षित वनभूमि घोषित किये जाने वाले गजट की प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न नहीं है।
4– क्षतिपूरक वृक्षारोपण का विस्तृत प्राक्कलन संलग्न नहीं है। 10 वर्षो के अनुरक्षण एवं प्रति वर्ष अनुमानित बृद्धि का समावेष करते हुए विस्तृत प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।
5– क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का डिजिटल मैप व .kml file/.shp file संलग्न नहीं है।
6– प्रस्ताव के साथ संलग्न एन0पी0वी0 की गणना त्रुटिपूर्ण है। ईको क्लास के अनुसार संशोधित गणना संलग्न करें।
7– वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी के प्रमाण–पत्र में पत्रांक व हस्ताक्षर के साथ सील अंकित नहीं है।
8– प्रस्ताव के साथ संलग्न डिजिटल मैप अनुमोदित ले–आउट प्लान के अनुरूप नहीं है। ले–आउट प्लान से मेल खाता डिजिटल मैप जो प्रस्तावक व प्रभागीय निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित हो, प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।
9– ऑनलाइन पार्ट–1 में बिन्दु–बी–2.1 एवं सी में प्रभाग का नाम अमरोहा अंकित करें।
10– ऑनलाइन पार्ट–2 के बिन्दु–15 एवं 16 में प्रभाग एवं वृत्त का नाम त्रुटिपूर्ण है।
11– ऑनलाइन पार्ट–2 के बिन्दु–2 में प्रभाग का नाम अमरोहा अंकित करें।
12– ऑनलाइन पार्ट–2 के बिन्दु–13(1) की सूचना अपलोड नहीं है।
13– ऑनलाइन एवं आफलाइन प्रस्ताव के पार्ट–2 में अंकित वानस्पतिक घनत्व में भिन्नता है।
14– ऑनलाइन पार्ट–2 के बिन्दु–14 में दि0 01.04.2012 तक की सूचना अंकित है। अद्यावधिक सूचना अंकित करें।
15– ऑनलाइन पार्ट–3 के बिन्दु–16 पर अंकित वृत्त का नाम त्रुटिपूर्ण है।
16– प्रस्ताव के पृष्ठ–49 एवं 50 पर संलग्न अनावष्यक अभिलेख को प्रस्ताव से पृथक कर दें।
17– उपरोक्त सूचनाओं को पूर्ण करने के उपरान्त प्रस्ताव के साथ संलग्न अभिलेखों एवं विषय–सूची पर पृष्ठ संख्या संशोधित करें।

उपरोक्तानुसार इंगित सूचनाओं को पूर्ण करने हेतु किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियॉ इस कार्यालय से प्राप्त करा लें तथा ऑनलाइन एवं आफलाईन सूचनाओं को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अपूर्ण प्रस्ताव इस कार्यालय को कदापि न प्रेषित किया जाय।

भवदीय,
6/9/16

(अरविन्द गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 496 / उक्त दिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार इंगित सूचनाओं को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव वन संरक्षक, मुरादाबाद को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि प्रादेशिक प्रबन्धक(रिटेल), भारत पेट्रोलियम कार्पो0 लि0, आबू का मकबरा, केसरगंज, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित सूचना एवं अभिलेख प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6/9/16

(अरविन्द गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।